भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4298 का उत्तर

ट्रैक के रख-रखाव के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं

4298. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास रेलवे ट्रैक के रख-रखाव के दौरान हुई दुर्घटनाओं का कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं में घायल और मरने वाले रेलवे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे नुकसान के लिए कोई मुआवजा प्रणाली है और यदि हाँ, तो पिछले ग्यारह वर्षों में दिए गए मुआवजे का वर्ष-वार ब्यौरा (रुपये में) क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेलपथ अनुरक्षण से संबंधित कर्मचारियों की संरक्षा और कल्याण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

रेलपथ अनुरक्षकों को जोखिमपूर्ण वातावरण में कार्य करते समय आवश्यक सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाते हैं। उन्हें प्रमुख सुरक्षा उपकरण जैसे रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट (ल्यूमिनस वेस्ट), सुरक्षा जूते, दस्ताने, सुरक्षा हेलमेट जिसमें अलग किया जा सकने वाली माइनर लाइट, तीन रंग की एलईडी तीन सेल टॉर्च, रेनकोट, विंटर जैकेट आदि मुहैया कराए जाते हैं।

1. इन कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने और शारीरिक थकान को कम करने के लिए, हल्के वजन के उपकरण जैसे स्पैनर, हथौड़ा, क्रोबार आदि मुहैया कराए जाते हैं। इसके अलावा, बैटरी/हाइड्रोलिक संचालित मशीनें और स्वचालित प्रणालिय को हल्के रखरखाव कार्यों जैसे फिटिंग निकालना/लगाना, बोल्ट कसना, रेल जॉइंट में लुब्रिकेशन आदि के लिए विकसित किया गया है, ताकि शारीरिक थकान को कम किया जा सके और उत्पादकता में सुधार हो सके।
2. रेलपथ के यांत्रिक अनुरक्षण के सभी प्रकार के कठिन कार्य जैसे टैंपिंग, बलास्ट क्लीनिंग, पटरियों को उठाना और संरेखित करना, साथ ही पटरियों की ग्राइंडिंग, कटिंग, ड्रिलिंग आदि के लिए विभिन्न प्रकार की रेलपथ मशीनों का उपयोग शुरू किया गया है ताकि मानवीय श्रम कम हो। मोबाइल टीमों को रेलपथ अनुरक्षण के लिए मल्टी यूटिलिटी/रेल आधारित वाहन मुहैया कराए जाते हैं।
3. संरक्षा संबंधी पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए नियमित काउंसलिंग और चिकित्सकीय परीक्षण किए जाते हैं। संभावित जोखिमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से उचित संरक्षा प्रोटोकॉल के साथ "पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट" कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां इन कर्मचारियों को 'पटरियों पर अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में कार्य करते समय सुरक्षित रहने के तरीके' के विषय में प्रशिक्षित किया जाता है।
4. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) के माध्यम से रेलपथ संरक्षा नियमों, मशीनों/उपकरणों के उपयोग, प्राथमिक उपचार आदि के विषयों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बेहतर समझ के लिए व्यवहारिक और दृश्य प्रशिक्षण साधनों का उपयोग किया जाता है।
5. कर्मचारियों के कल्याणकारी उपायों के संबंध में, उन्हें गैंग टूल्स सह विश्राम कक्ष, गैंग हट्स, चौकीदार वाले समपार फाटक पर शौचालय की सुविधाएँ, पानी की बोतल (2 लीटर, हीट इंसुलेटेड), आश्रितों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पारिवारिक आवास प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, रेलपथ अनुरक्षकों की ड्यूटी की प्रकृति के अनुसार जोखिम और कठिनाई भत्ता भी प्रदान किया जाता है।
6. जलवायु संबंधी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार ड्यूटी रोस्टर में लोचशीलता की अनुमति है। रेलपथ अनुरक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षा और रेलपथ अनुरक्षण कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान और पुरस्कार दिए जाते हैं।
7. वीएचएफ आधारित आने वाली गाड़ियों के संबंध में चेतावनी प्रणाली (एप्रोचिंग ट्रेन वॉर्निंग सिस्टम) ब्लॉक खंड में आने वाली गाड़ियों के लिए एडवांस स्टार्टर सिगनल के हरा होने पर

कर्मियों को हैंडहेल्ड वीएचएफ रिसीवर डिवाइस के माध्यम से पहले से चेतावनी देता है। इन उपकरणों को सभी मार्गों पर पटरियों पर काम करने वाले कर्मियों को सामान्य सुरक्षा सावधानियों के अतिरिक्त संरक्षा के लिए मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रणाली को भारतीय रेल नेटवर्क में क्रमिक रूप से लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली से अब तक लगभग 340 ब्लॉक खंडों को कवर किया जा चुका है।

उपर्युक्त संरक्षा संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप, रेलपथ अनुरक्षण कार्यों के दौरान रेल कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान मृत्यु की संख्या में 2013-14 में 196 से 66% की कमी आई है।

रेलवे में मुआवजा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है जिसके तहत ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हो जाने के कारण अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार/आश्रितों को रेलवे द्वारा 25 लाख रुपए (01.01.2016 से) का भुगतान अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा राशि के रूप किया जाता है।
